इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2012—भाद्र 23, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खेल और युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्र. एफ-2-44-2012-नौ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्र. एफ-2-16-04-नौ, दिनांक 5 अप्रैल, 2005 से बनाये गये पुरस्कार नियम में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

1. विक्रम पुरस्कार के नियम क्रमांक 1.4—भुगतान के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के रूप में रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख), ब्लेजर (क्रेस्ट सहित), टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण-पत्र के साथ दिया जावेगा."

2. एकलव्य पुरस्कार के नियम क्रमांक 2.4—भुगतान के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के रूप में रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार), ब्लेजर (क्रेस्ट सहित), टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण-पत्र के साथ दिया जावेगा."

3. विश्वामित्र पुरस्कार के नियम क्रमांक 3.4—भुगतान के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"प्रशिक्षक को पुरस्कृत करने हेतु नगद पुरस्कार के रूप में रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख), ब्लेजर (क्रेस्ट सहित), टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण-पत्र के साथ दिया जावेगा.".

4. लाईफ टाईम एचिवमेन्ट पुरस्कार के नियम क्रमांक 4.4—भुगतान के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"व्यक्ति को पुरस्कृत करने हेतु नगद पुरस्कार के रूप में रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख), ब्लेजर (क्रेस्ट सहित), टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण-पत्र के साथ दिया जावेगा.".

2. उक्त संशोधन दिनांक 29 अगस्त, 2011 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश गुप्ता, उपसचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

सूचना

क्र. 2815-2011-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम में नियोजन की अनुसूची के भाग-1 में सम्मिलित अनुक्रमांक 67 की प्रविष्टि को विखंडित करने के अपने आशय की सूचना देती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो इस प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीन मास की कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त अधिनियम, में अनुसूची में, भाग-1 में, प्रविष्टि क्रमांक "67—किसी आंगनवाड़ी संस्था में नियोजन" का लोप किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय तिर्की, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ-2815-11-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय तिर्की, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 25th June 2012

NOTICE

No. 2815-2011-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948), in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government, hereby, gives notice of its intention to rescind the entry at serial number 67 included in the Part-1 of the Schedule of Employments to the said Act.

Any objection or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period of 3 months from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette, will be taken into consideration by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said Act, in the Schedule, in part-1, the entry at serial number "67.—Employment in any Anganwadi Institutes," shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY TIRKEY, Principal Secy.

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्र. एफ 1-2-2012-छप्पन.—राज्य शासन संलग्न परिशिष्ट—अनुसार प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 जारी करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति—2012

परिकल्पना :

इस नीति का लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर मैन्यूफेक्चरिंग – (आई.टी./आई.टी.ई.एस./ई.एच.एम.) – को प्रदेश के आमजन की उन्नति के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले जीवंत उद्योग के रूप में विकसित करना है।

उद्देश्य :

1. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में निवेश प्रवाह को बढ़ाना ।
2. प्रदेश के युवावर्ग हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अधिकतम अवसर उत्पन्न करना।
3. छोटे शहरों (कस्बों) में आधारभूत संरचना एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना।
4. सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/निवेश क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

रणनीति :

1. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाय करने वाली फर्म्स को अपना आधार स्थापित करने हेतु छूट/सुविधाओं की उपलब्धता।
2. प्रदेश के शिक्षित युवा वर्ग के लिये रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना एवं राज्य से होने वाले प्रतिभा–पलायन को रोकना।
3. कुशल एवं तकनीकी जनशक्ति तैयार करने हेतु मानव संसाधन का विकास।
4. अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण को अंगीकृत करने का प्रोत्साहन।

कार्य योजना

राज्य शासन इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नियोजन और इसके समग्र विकास हेत प्रतिबद्ध

है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करने एवं इस क्षेत्र में पार्कों के विकास के लिये कार्य योजना निम्नानुसार होगी :-

1. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-8-ग्यारह-डी-99 दिनांक 28/01/2000 (यथा समय विभाग द्वारा किये जाने वाले संशोधनों सहित) के अंतर्गत वर्णित सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी), सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाऐं (आई.टी.ई.एस.), इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर मेन्युफेक्चरिंग (ई.एच.एम.) एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सम्मिलित किये जाने योग्य होगी।
2. शासन द्वारा भूमि के बड़े भाग सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के रूप में चिन्हित किये गए हैं। इन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के कर्मियों हेतु खान-पान प्रांगण, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, आवासीय परिसर, स्कूल, स्टार होटल और अन्य मनोरंजन सुविधाओं के निर्माण की अनुमति होगी।
3. भारत सरकार के सहयोग से राज्य शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आई.टी.आई.आर.) के विकास की दिशा में कार्यवाही की जायेगी।
4. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में निर्माण हेतु राज्य शासन निजी क्षेत्र की एजेन्सीज से समन्वय कर कार्य करेगा। निजी क्षेत्र की योग्य अधोसंरचना विकास एजेंसियों को चिन्हित किया जाएगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के विकास, विपणन और प्रबंधन कार्य करेंगी।
5. शासन, भूमि-स्वामियों की आपसी सहमति से, ख्यातिप्राप्त एवं बड़ी धनराशि विनियोजित करने में सक्षम निजी क्षेत्र की अनुभवी कम्पनियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के विकास हेतु निजी भूमि उपलब्ध करवाने में सहयोग करेगा।
6. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति के अंतर्गत छूट/प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आवेदक कंपनी को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी इकाई के रूप में मान्य होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उपलब्ध छूट/प्रोत्साहन :

1. **एकल खिड़की समाधान व्यवस्था :** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र. शासन सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को म.प्र. राज्य में आकर्षित करने का कार्य करेगा और म.प्र. ट्रेड एन्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कारपोरेशन

(एम.पी. ट्रायफेक) किसी भी परियोजना के लिये अनुमति एवं समाधान सम्बन्धी समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा।

2. **उद्योग संवर्धन नीति का लागू होना :** मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रासंगिक सुविधाऐं शासन द्वारा आवंटित भूमि/निजी भूमि पर स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को, समस्त शासकीय औपचारिकताओं हेतु, एकल खिड़की समाधान व्यवस्था के प्रावधान के साथ उपलब्ध होंगी।

3. **गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन :** शासन राज्य में कार्यरत् किसी सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी द्वारा केपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (सी.एम.एम./सी.एम.एम.आई) पीपल्स केपेबिल्टी मैच्योरिटी मॉडल (पी.सी.एम.एम.) का गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त कर लेने पर, उनके द्वारा व्यय की गई राशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 6 लाख की सीमा तक, पश्चात्वर्ती प्रतिपूर्ति करेगी। यह प्रोत्साहन राशि आवेदक कम्पनी को केवल एक बार दी जायेगी।

4. **भूमि उपयोग सम्बन्धी छूट :**

(क) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के समूचे क्षेत्रफल में वर्तमान "तल क्षेत्र अनुपात" में छूट प्रकरण दर प्रकरण आधार पर तथा नगर विकास योजना के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त होगी।

(ख) कुल सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के कम से कम 60 प्रतिशत क्षेत्र का सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यो हेतु एवं शेष 40 प्रतिशत का उपयोग अन्य सहायक कार्यो एवं सहयोगी गतिविधियों हेतु किया जा सकेगा। तथापि, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एस.ई.जेड.) हेतु आवंटित भूमि के लिये 'एस.ई.जेड. नियम' लागू होंगे।

5. **स्टाम्प ड्यूटी में छूट :**

(क) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ निष्पादित रहननामों/बन्धक पत्रों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों द्वारा देय स्टाम्प ड्यूटी से छूट इस शर्त पर प्राप्त होगी

कि ऐसी नई इकाई को संसूचित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई प्रमाणित किया गया हो।

(ख) वित्तीय संस्थाओं, शासकीय ऐजेंसियों या निजी क्षेत्र द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टे/विक्रय के ऐसे दस्तावेजों जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में भूमि/परिसर सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी को नई इकाई के पक्ष में अन्तरित की जाती है, पर स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त पर प्राप्त होगी कि, ऐसी नई इकाई को संसूचित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई प्रमाणित किया गया हो।

6. विद्युत सम्बन्धी प्रोत्साहन :

(क) कैप्टिव पावर प्लान्ट लगाने के लिये किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में विद्युत अधिनियम-2003 के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

(ख) म.प्र. राज्य में औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों को अबाधित विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को विद्युत की आपूर्ति, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर तथा निर्धारित शर्तो के अधीन एक डेडीकेटेड फीडर के माध्यम से की जाऐगी।

7. भूमि के मूल्य में छूट :

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के निवेश को आकर्षित करने के लिये भूमि के मूल्य में छूट देना एक मुख्य प्रोत्साहन है। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के निर्माण के लिये आवंटित भूमि के मूल्य पर निर्धारित शर्तो व प्रक्रिया अनुसार निम्नानुसार छूट प्राप्त हो सकेगी :-

(अ) छूट केवल शासकीय भूमि पर प्राप्त होगी।

(ब) भूमि उपलब्ध होने की दशा में, तत्समय लागू कलेक्टर गाइड लाइन रेट के 25 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यह इस शर्त के साथ होगा कि स्थाई पूँजी में निवेश तीन वर्षो की अवधि में करना होगा। इन इकाईयों को भूमि निम्न तालिका में उल्लेखित अनुसार आबंटित होगी :-

क्रमांक	परियोजना लागत (करोड़ रू. में)	रियायती दरों पर देय भूमि
1.	20 करोड़ तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 एकड़
2.	20 से 50	,, ,, 15 ,,
3.	50 से 100	,, ,, 25 ,,
4.	100 से अधिक	प्रकरण – दर – प्रकरण आधार पर

तथापि यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि भूमि मूल्य के अतिरिक्त विकास शुल्क पृथक रूप से देय होगा, यदि भूमि का विकास मध्यप्रदेश शासन अथवा इनके किसी प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा किया गया है।

(स) लीज रेन्ट कम्पनी द्वारा देय वास्तविक लीज प्रीमीयम के 01 (एक) प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जाएगा।

(द) आवेदक कम्पनी द्वारा प्रति एकड़ 100 इंजीनियर्स/आई.टी./आई.टी.ई.एस. प्रोफेशनल्स को रोजगार दिये जाने पर ही छूट की पात्रता होगी। इन कर्मियों में से 50 प्रतिशत कर्मी मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी होंगे।

(इ) भूमि 99 वर्ष तक की लीज पर प्रकरण दर प्रकरण आधार पर दी जाएगी तथा इसके नवीनीकरण का प्रावधान होगा।

ब्याज अनुदान :

ब्याज अनुदान के संबंध में मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

9. पूंजीगत निवेश अनुदान :

पूंजीगत निवेश अनुदान के संबंध में मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

10. कुशलता अन्तराल (स्किल गैप) प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति : मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी इंजीनियर्स/आई.टी./आई.टी.ई.एस. प्रोफेशनल्स को स्किल गैप प्रशिक्षण देने में हुए व्यय की 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 10000/- रूपये (रूपये दस हजार) प्रति कर्मी होगी। यह प्रतिपूर्ति कम्पनी को केवल एक बार तथा कम्पनी द्वारा कार्य संचालन प्रारम्भ किये जाने के प्रथम दो वर्षो के भीतर नियोजित व्यक्तियों के लिए देय होगी।

11. विधिक विनियमों सम्बन्धी छूट :

सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को सुसंगत/सम्बन्धित विधिक प्रावधानों में निम्नानुसार छूट प्राप्त होगी :-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के, व्यवसाय करने के समय एवं साप्ताहिक अवकाश सम्बन्धी, प्रावधानों से एक अधिसूचना जारी कर छूट दी जा सकेगी। नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर और आवागमन के दौरान महिला कर्मियों की सुरक्षा एवं संरक्षा की व्यवस्था की जाने पर, इन महिला कर्मियों को 3 शिफ्ट में 24 घण्टे कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माणी इकाईयों में कार्यरत महिला कर्मियों के कार्य करने के समय में फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत छूट दी जा सकेगी। नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर और आवागमन के दौरान महिला कर्मियों की सुरक्षा एवं संरक्षा की व्यवस्था की जाने पर, इन महिला कर्मियों को 3 शिफ्ट में 24 घण्टे कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की अनुसूची में सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को स्वतंत्र नियोजन के रूप में जोड़ा जाएगा

ताकि ऐसे कर्मी पृथक वर्गीकृत किये जायें तथा उनकी कुशलता और कार्य क्षमता अनुसार उनकी मजदूरी नियत हो सके।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को विभिन्न अधिनियमों/नियमों द्वारा नियत रजिस्टरों एवं फार्म्स का स्व-प्रमाणीकरण करने की अनुमति होगी यथा - पेमेन्ट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ईक्वल रिमैन्यूरेशन एक्ट, वॉटर एन्ड पोल्यूशन एक्ट, इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इम्प्लाईज प्राविडेन्ट फन्ड एन्ड मिसलेनियस प्रॉविजन्स एक्ट, कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एन्ड एबालिशन) एक्ट। उन्हें यह भी अनुमति होगी कि वे अनेक पंजियों तथा अभिलेख के स्थान पर विभिन्न श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत एकल पंजी और अभिलेखों को संधारित करें।

(ड़) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को सुसंगत श्रमिक अधिनियम/नियम (लेबर लॉज) के संबंधित प्रावधानों से मुक्त रखा जायेगा, जिससे कि वे चौबीस घंटे, 07 दिन, एवं तीन शिफ्ट कार्य संचालित कर सकें।

12. प्रवेश कर पर छूट :

(अ) वे सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ जो सॉफ्टवेयर विकास संबंधी व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, के प्रयोग में आने वाले सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश कर से मुक्त रखा जायेगा।

(ब) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माणी इकाईयों (ई.एच.एम.) को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश कर से मुक्त रखा जायेगा।

13. इकाई के विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु सुविधाऐं :

ऐसी सभी विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां जो अपनी क्षमता का विस्तार/आधुनिकीकरण करेंगी, अपने वृद्धिगत (इंक्रीमेन्टल) उत्पादन पर उपरोक्त समस्त छूट एवं सुविधाऐं उसी प्रकार प्राप्त करेंगी जिस प्रकार वे "नई सूचना प्रौद्योगिकी इकाई" को प्राप्त होगी बशर्ते उन्हें संसूचित एजेंसी द्वारा प्रमाणीकृत किया जाए। केवल वे इकाईयॉ इस प्रावधान के अन्तर्गत पात्र मानी जायेंगी, जो विस्तार हेतु, अपने विद्यमान पूँजीगत

निवेश की 50 प्रतिशत राशि, रूपये 25 लाख की न्यूनतम राशि के उपबन्ध के साथ अतिरिक्त निवेश करेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्र. एफ 1-2-2012-छप्पन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासन की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव.

Information Technology Investment Policey—2012

Vision

This policy aims to develop IT/ITES/EHM as a vibrant industry for inclusive growth and creating employment opportunities for people in the state in the area of Information Technology.

Objectives

1. To increase the flow of investments in the state in Information Technology industry.
2. To maximize direct and indirect employment generation opportunities for the youth in the state.
3. To extend the development and infrastructure opportunities in smaller cities.
4. To promote establishment of IT units in IT Parks/IT Investment Areas.

Strategies

1. Fiscal incentives for attracting investments to the sector and getting IT services firms to set up a base in the state.
2. Providing better opportunities for employment to the educated youth of the state and putting a check on brain drain from the state.
3. Developing human resource to create skilled & technical manpower.
4. Encourage adoption of internationally accepted quality certifications.

Course of Action

The State Government is committed for overall development of IT industry in the state with specialized focus on Indore, Gwalior, Bhopal and Jabalpur for the development and promotion of IT investment. To attract IT industry and development of IT parks following will be the course of action:

1) Information Technology (IT), Information Technology Enabled Services (ITES), Electronic Hardware Manufacturing (EHM) and other allied activities as described in the notification number F- 16-8-eleven-D-99 dated 28-01-2000 (including subsequent amendments, if any) by the Department of Commerce and Industries, Government of Madhya Pradesh will qualify as Information Technology Industry.

2) Large chunks of land have been earmarked by the State for Information Technology investment area. Composite townships with food courts, hospital, shopping mall, residential complex, schools, star hotels, and other entertainment facilities for the IT/ITES professionals will be allowed in these areas.

3) The State Government will pursue for the development of Information Technology Investment Region (ITIR) with the help of Govt of India.

4) The State Government will work in close coordination with private sector agencies for undertaking construction in the IT investment area. Suitable private sector infrastructure development agencies will be identified who will undertake the development, marketing and management of the IT investment area.

5) The Government will facilitate pooling of private land with mutual consent of land owners for development of IT investment area by leading and reputed private sector companies who posses experience of making sizable investment in this sector.

6) To avail the incentives available under the policy, the applicant unit would require to be certified as an IT outfit by a designated agency as appointed by the State Government.

Available Incentives

1) SINGLE WINDOW CLEARANCE SYSTEM

Department of Information Technology, GoMP would work for attracting IT industries for investment in the State and MP Trade & Investment Facilitation Corporation (MP-TRIFAC) would act as a Single Window for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation mechanism.

2) APPLICABILITY OF INDUSTRIAL PROMOTION POLICY

Relevant incentives provided under the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy shall be applicable to the IT Industries established on Government allotted land / Private Land with a provision of single window processing/clearances for all government formalities.

3) INCENTIVE ON QUALITY CERTIFICATIONS

The Government shall reimburse prospectively, 75% of the cost incurred by an IT Company operating in the State on securing quality certification of Capability Maturity Model (CMM/ CMMi) Peoples Capability Maturity Model (PCMM) subject to a maximum ceiling of 6 (Six) lakhs. This incentive will be available only once to the applicant company.

4) LAND USE EXEMPTIONS

a) Exemptions in the existing FAR for IT investment area can be considered on a case to case basis, subject to the relevant provisions of the respective City Development Plan.

b) A minimum 60% of the total of the IT investment area will be used for IT operations and the balance 40% can be used for ancillary use and support services. However SEZ rules shall be applicable for lands allotted for SEZ.

5) STAMP DUTY CONCESSIONS

a. Stamp duty payable by IT companies on mortgage / hypothecation with banks/ financial institutions in IT investment area will be exempted provided the new unit is certified to be an IT outfit by a designated agency.

b. Stamp duty and registration fee exemption will be applicable on Sale/lease by Financial Institution / Government Agencies/ Pvt. Sector who acquire space/ premises in IT investment area for subsequent lease to IT units provided the new unit is certified to be an IT outfit by a designated agency.

6) **INCENTIVE RELATED TO POWER**

a. No prior permission will be required for installation of captive power plant. However, the relevant provisions of the Electricity Act 2003 will be applicable in this regard.

b. In Madhya Pradesh, uninterrupted power supply is being supplied to the units in the industrial area. Further, the IT Industry shall be provided power through a dedicated feeder as per the prescribed terms & conditions on payment of requisite charges.

7) **REBATE IN COST OF LAND**

Rebate in Cost of Land is being included as one of the major incentives for attracting investments in the state. The terms for allotting land and the procedure for availing the rebate for establishment of IT Investment area is defined below:

a) Rebate shall be applicable only on Government lands.

b) The land will be made available at the rate of 25% of the prevalent Collector guideline rate, subject to availability of land and with the condition that the investment in fixed capital will be made within a period of three years. Land to such units will be allotted according to the table given below:

S/N	Project Cost (In Rs Crores)	Land available at concessional rate
1	Up to 20	Maximum 10 acres as per requirement
2	20 to 50	Maximum 15 acres as per requirement
3	50 to 100	Maximum 25 acres as per requirement
4	More than 100	Case to case basis

However, it is being clarified that the development cost would be levied separately, if the land has been developed by GoMP or its Agencies/ Authorities.

c) The lease rent will be charged at the rate of 01% (One percent) per year of the actual lease premium payable by the company.

d) Minimum number of Engineers/ IT/ITES Professionals hired by a company in order to avail the concession shall be 100 per acre, of which, minimum 50% employment shall be for the persons who are residents of Madhya Pradesh.

e) On case to case basis, Land will be allotted for upto 99 years on lease with provision for further renewal.

8) SUBSIDY ON INTEREST

The relevant provisions of the Industrial Promotion Policy would be applicable in respect of Interest Subsidy.

9) SUBSIDY ON CAPITAL INVESTMENT

The relevant provisions of the Industrial Promotion Policy would be applicable with respect to Subsidy on Capital Investment.

10) REIMBURSEMENT ON SKILL GAP TRAININGS

For providing skill gap trainings to the Engineers/ IT/ ITES Professionals that are domicile of Madhya Pradesh, One time reimbursement will be available to the company, upto 50% of the cost incurred subject to maximum limit of Rs. 10,000 (Rs. Ten thousand) per employee, who are trained by the company within first Two years of commencement of operations.

11) INCENTIVE RELATED TO STATUTORY REGULATIONS

The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the IT units:

a) The IT units shall be granted exemption from the provisions of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act 1958 relating to the hours of business and weekly closure by issuing notification under the Act. Women workers shall also be allowed to work 24 X 7 operations with 3 shifts per day subject to the conditions fulfilled by the employers relating to women workers' security and safety at the work place and during the transit.

b) The hours of work for women employees working in an IT manufacturing unit shall be relaxed under the Factories Act. Accordingly for IT establishments, Women may be able to work 24 X 7 operations with 3 shifts per day in such manufacturing units subject to the conditions fulfilled by the employers relating to women workers' security and safety at the work place and during the transit.

c) The IT units shall be added as an independent employment in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers shall be classified separately and their wages could be fixed as per their efficiency and skill level.

d) IT Units shall be permitted for self certification of the registers and forms as contemplated under various following Acts viz Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Employees State Insurance Act, Payment of Gratuity Act, Maternity Benefit Act, Equal Remuneration

Act, Water & Pollution Act, Employment Exchange Act, Factories Act, Employees' Provident Fund & Misc. Provisions Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and shall also be allowed to maintain unified register and record instead of maintenance of different registers and records under different Labour Acts.

e) The relevant provisions of certain labour laws shall be relaxed for IT units so as to allow them 24 X 7 operations with 3 shifts per day.

12) BENEFIT ON ENTRY TAX

a) Payment of Entry Tax shall be exempted for a period of 5 years, on procurement of Information Technology products by the IT units that are in the business of Software Development.

b) Electronics Hardware Manufacturing (EHM) units shall be exempted for Payment of Entry Tax for a period of 5 years.

13) FACILITIES TO THE UNITS ON EXPANSION/ MODERNIZATION

All existing IT units which shall undergo expansion / modernization of their capacity will get all the above facilities on their incremental production as "new IT units" subject to certification by a designated agency. In order to qualify for this incentive the additional Capital investment in expansion should be minimum 50% of the existing capital investment subject to a minimum of Rs. 25 lakhs.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUDHIR KUMAR KOCHAR, Under Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.